

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली, सुपौल।
अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-05/2023-24

पत्रांक06..... निर्मली, दिनांक02...../.....01...../2024

1. कार्य का विवरण :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि (रूपये में)	परिमाण-विपत्र का मूल्य (रूपये में जो लौटायी नहीं जायेगी)	कार्य समाप्ति की अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	पश्चिमी तटबंध प्रमंडल निर्मली के अधीन कॉलनी के सम्पोषण एवं अनुरक्षण का कार्य।	260199.00	5300.00	750.00	25.02.2024	सुपौल जिला अन्तर्गत श्रेणी-IV के निबंधित संवेदक।

- 1 विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली, सुपौल।
- 2 निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :- 02.01.2024
- 3 निविदा प्रपत्र की बिक्री तिथि :- दिनांक-10.01..2024 के 10:30 बजे पूर्वाह्न से दिनांक-12.01.2024 (कार्यालय अवधि में)
- 4 निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :- दिनांक 13.01.2024 के समय अपराह्न 3:00 बजे तक।
- 5 तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 13.01.2024 के समय अपराह्न 3:30 बजे तक।
- 6 निविदा प्रपत्र की बिक्री का कार्यालय :- कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली, सुपौल।
- 7 निविदा प्राप्ति स्थल :- क्रमांक 06 के कार्यालय में।
- 8 वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय :- सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी।


कार्यपालक अभियन्ता,
पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली, सुपौल।
मो0-7463889455

(सरकारी सेवा जन सेवा का माध्यम है। धर्म-ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें।)

9. निविदा से संबंधित विस्तृत शर्तें नियम अर्हता, अग्रधन का स्वरूप निविदा की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी के लिए परिमाण विपत्र बिक्री स्थल से सम्पर्क किया जा सकता है।

नियम एवं शर्तें:-

10. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोत्तरी या बढ़ोतरी हो सकती है। तदनु रूप अग्रधन की राशि प्राक्कलित राशि का दो प्रतिशत एवं 100/-रु0 के गुणक, में जमा करना होगा।
11. अग्रधन की राशि डाकघर बचत खाता पासबुक 1/2/3 वर्यीय डाकघर में सावधि जमा, राश्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र अथवा बिहार सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रतिभूति, जो कार्यापालक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली, सुपौल। के पदनाम से विधिवत् अद्यतन प्रतिज्ञित हो, स्वीकार किये जायेंगे।
12. निविदा प्रपत्र वर्णित मूल्य के बैंक ड्राफ्ट जो राश्ट्रीयकृत बैंक से कार्यापालक अभियंता, कार्यापालक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली, सुपौल। के पदनाम से निर्गत तथा सुपौल शखा में भुगतये हो, का बैंक ड्राफ्ट जमा करने पर प्राप्त होगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य लौटाया नही जायेगा।
13. निविदा दो मुहरबंद लिफाफे में कमांक 01 एवं 02 जिसमें कमश : प्रीक्वालिफिकेशन बीड तथा प्राईस बीड सील्ड (जिसे मोहर या हस्ताक्षर लगाकर बंद किया गया हो) कर के एक बडे लिफाफा में सील कर समर्पित करना होगा। निविदा खोलने की तिथि को कमांक 05 में उल्लिखित सभी कार्यालयों में मात्र प्रीक्वालिफिकेशन बीड खोली जायेगी। निविदाकारों के दुसरे लिफाफा, जिसमे प्राईस बीड रहेगा, को प्रीक्वालिफाईंग बीड में सफल होने पर ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा सफल निविदाकारों को मोबाईल पर सूचित कर निर्धारित तिथि को खोला जायेगा। जो निविदाकार प्रीक्वालिफाई बीड में असफल होंगे उनका प्राईस बीड जस का तस उन्हें लौटा दिया जायेगा।
14. निविदादाता के प्रवीक्वालीफिकेशन बीड के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य होगा।
क. निविदादाता का समुचित श्रेणी में निबंधन होने का प्रमाण-पत्र (छाया प्रति)
ख. निर्गत परिमाण-विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि बिहार सरकार वित्त विभाग द्वारा अनुमान्य स्वरूप में (मूल में)।
ग. पैन कार्ड की छाया प्रति।
घ. जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
15. अभियंता प्रमुख (उ0), जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक 988 दिनांक 28.10.2009. के अनुसार संवेदक के प्रत्येक विपत्र से 1% सेस की कटौती की जाएगी एवं रॉयल्टी तथा मालिकाना फीस मद मे विभागीय पत्रांक 599 दिनांक 06.12.2019 का अनुपालन किया जायेगा। साथ ही संवेदक का जी0एस0टी0 निबंधन अनिवार्य होगा।
16. पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना सं0-13589(s) पटना दिनांक- 13.12.2011 के कंडिका-4 के उप कंडिका -(घ) एवं (ड) में निहित प्रावधान के अनुसार श्रेणी -04 में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेगे।
(क) निविदा सूचना में अंकित परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि निर्धारित स्वरूप में संलग्न किया गया हो।
(ख) निर्धारित आश्रय का शपथ-पत्र (Affidavit) जिसका प्रारूप निम्नांकित निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है :-
"I the undersigned do here by certify that all the statements made in the required attachments are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing"
17. निविदादाता के प्रीक्वालीफिकेशन बीड के साथ उपरोक्त सभी दस्तावेज देना अनिवार्य है जिसमें छाया प्रति स्व हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। प्रीक्वालीफिकेशन बीड में सफलता का निर्धारण उपरोक्त सभी दस्तावेजों के आधार पर ही होगा।
18. परिमाण विपत्र या प्राक्कलित राशि में अन्तर हो सकता है। अग्रधन की राशि स्वीकृत परिमाण विपत्र के मूल्य पर ही अनुमान्य होगा।
19. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
20. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
21. निविदा निष्पादन/कार्य के क्रियान्वयन के संबंध में विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन आदेश/परिपत्र का अनुपालन बाध्यकारी होगा।



22. निविदित दर Serious unbalanced rate होने की स्थिति में Additional performance guarantee पथ निर्माण विभाग, पटना के ज्ञापांक-448 (s) दिनांक-16.01.2020 के अनुसार जमा करना होगा।
23. संवेदक अपना मान्य E-mail ID, टेलिफोन/मोबाईल नं० को अलग से पेपर पर लिख कर देंगे।
24. यह निविदा आमंत्रण सूचना निविदा अभिलेख का एक अंश होगा। कार्यावंटन आदेश निर्गत होने के उपरान्त सफल निविदाकार को निर्धारित अवधि में वांछित प्रारंभिक प्रतिभूति समर्पित कर एकरारनामा अनुबद्ध करना आवश्यक होगा।
25. जल संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक-50 दिनांक-20.01.2020 तथा पथ निर्माण विभाग, बिहार का ज्ञापांक-447(s) दिनांक-16.01.2020 अनुमान्य होगा Settlement of Disputes & Arbitration के संबंध में विभागीय पत्रांक 633 दिनांक 05.09.2019 तथा पथ निर्माण विभाग, बिहार का ज्ञापांक-4439(E) दिनांक-17.07.2023 बाध्यकारी होगी।
26. संवेदक निविदा अपलोड करने से पहले कार्यस्थल का निरीक्षण कर कार्य से अवगत हो लें। बाद में कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
27. सभी निविदाकारों के द्वारा अग्रधन की राशि परिमाण विपत्र की राशि का 2% (दो प्रतिशत) जमा करना अनिवार्य है।
28. चरित्र प्रमाण पत्र के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 124 दिनांक 04.02.2021 का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
29. मिट्टी के संपीडन के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव अभियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक 730 दिनांक 17.10.2019 एवं खुदाई कार्य के संबंध में विभागीय पत्रांक-205 दिनांक-20.03.23 का अनुपालन किया जाएगा।


कार्यपालक अभियंता,
पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली, सुपौल।
मो०-7463889455

21/1/24